संख्याः 177 / XXIV–3/2006

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 20 मार्च,2006

विषयः व्यवसायिक शिक्षा हेतु अतिथि विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/63697/पुनर्विनियोग/2005–06 दिनांक 18–03–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय व्यवसायिक शिक्षा हेतु अतिथि विशेषज्ञों के दिनांक 31–3–2006 तक के लम्बित मानदेय के भुगतान हेतु कुल रू0 1,24,06,000/– (एक करोड़ चौबीस लाख छः हजार मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा योजना में जिन शिक्षण संस्थाओं को योजना लागू किये जाने हेतु चयनित किया गया था, केवल उन्ही संस्थाओं के व्यवसायिक शिक्षा के अतिथि विशेषज्ञों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(2) व्यवसायिक शिक्षा के अतिथि विशेषज्ञों को मानदेय का भुगतान उनके द्वारा वास्तव में संबंधित अवधि में कार्यरत रहने की पुष्टि होने पर नियमानुसार किया जाय।

(3)– योजना में व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति /स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(4)– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवयल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5)– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या– 11 के अधीन लेखा शीर्षक " 2202–सामान्य शिक्षा– 02 –माध्यमिक शिक्षा– आयोजनागत – 800– अन्य व्यय– 01–केंद्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

योजनायें— 01— व्यवसायिक शिक्षा हेतु अतिथि विशेषज्ञों को मानदेय— के अन्तर्गत संलग्न बी.एम.—15 प्रपत्र में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/ सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 1351/ वित्त अनुभाग—3/2006 दिनांक 28—3—2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक— बी0एम0—15 प्रपत्र।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 77 (1)/ XXIV—3/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल— पौड़ी/ कुमायूँ मण्डल—नैनीताल।
5— समस्त जिलाधिकारी एवं कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
7— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3 / नियोजन प्रकोष्ठ।
8— कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
9— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
10— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12— शिक्षा अनुभाग—4
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक— बी0एम0—15 प्रपत्र।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग – 3
संख्याः1351 /XXVI(3)/2006
देहरादून दिनाँक 28 मार्च,2006

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्याः 177 (1)/XXIV-3/2006/तद्‌दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3– वित्त अनुभाग–3।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

—1—

प्रपत्र -बी0एम0 15 पैरा 156

<u>धनराशि हजार में</u>

[illegible]न्त्रक अधिकारी - सचिव शिक्षा | प्रशासनिक विभाग-मानव संसाधन विभाग | वित्तीय वर्ष 2005-06 आयोजनागत

[illegible]ट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ 1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]02-सामान्य शिक्षा				2202-सामान्य शिक्षा			कम्प्यूटर शिक्षा योजनान्तर्गत 170 विद्यालयों को 10 हजार रूपये प्रतिविद्यालय की दर से धनराशि स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप मानदेय में एवं अन्य सम्बन्धित योजना में सम्बल पदों पर पद स्वीकृत न होने के कारण धनराशि बचत है। व्यावसायिक शिक्षकों को मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता है।
[illegible]2-माध्यमिक शिक्षा				02-माध्यमिक शिक्षा			
001-निदेशन तथा प्रशासन				800-अन्य व्यय			
03-माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान				1-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
01-वेतन 6000	5063	87	850	0101-व्यावसायिक शिक्षा हेतु अतिथि विशेषज्ञों का मानदेय			
03-महंगाई भ0 1800	1529	21	250	07-मानदेय 12405	12405		
48-महंगाई वेतन 3000	2296	54	650				
101-निरीक्षण							
03-क्षेत्रीय निरीक्षण							
[illegible]गाड़ी अनु0 और पेट्रोल आदि की खरीद 700	450	120	130				
45-अवकाश यात्रा 200	0	0	200				
[illegible]-विकास खण्ड स्तर पर							

09-विद्युत व्यय 200	50	20	130			
10- जलकर 100	0	0	100			
13-टेलीफोन व्यय 200	0	0	200			
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 200	12	0	188			
29-अनुरक्षण 200	0	0	200			
42-अन्य व्यय 200	90	10	100			
45-अवकाश यात्रा 200	25	0	175			
109-राजकीय माध्यमिक						
04-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग/विषय						
0491-रा0उ0मा0वि0 में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयो का समावेश (जिला योजना)						
01-वेतन 1000	770	30	200			
03-मंहगाई भ0 1000	224	76	700			
05-स्थाना0 भा0भ0 100	0	0	100			
06अन्य भत्ते 425	103	22	300			
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपू0 200	0	0	200			
45-अवकाश यात्रा 100	0	0	100			
48-मंहगाई वेतन 1000	400	100	500			
स्थापना तथा राजकीय जू0हा0 स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर क्रमोनयन						
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपू0 500	88	12	400			
42 -अन्य व्यय 200	0	0	200			

नये राजकीय हाई स्कूलों

-प्रत्येक जनपद में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना							
08-कार्यालय व्यय	1500	1100	50	350			
12-कार्यालय फर्नी0	3000	2650	120	230			
-टेलीफोन	250	130	20	100			
18-प्रकाशन	150	0	0	150			
चिकित्सा व्यय प्रतिपू0	200	0	0	200			
-भोजन व्यय	6850	5300	750	800			
-प्रशिक्षण	200	0	0	200			
-अवकाश यात्रा	300	0	0	300			
47-कम्प्यूटर अनु0	400	120	30	250			
नये राजकीय इण्टर कालेजों स्थापना तथा कमोन्यन							
01-वेतन	1800	320	480	1000			
25- लघुनिर्माण	1000	0	0	1000			
48-मंहगाई वेतन	900	197	250	453			
राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर तक उच्चीकरण(जि0यो0)							
-चिकित्सा व्यय प्रतिपू0	500	0	0	500			
-अवकाश यात्रा	500	0	0	500			
र्ण योग-	35575	20917	2252	12406	सम्पूर्ण योग-	12405	12405	23170

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैन्युवल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 का उल्लंघन नही होता है।